

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश


क्रमांक ३२४ / गोपनीय / 2017
दो-2-1 / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक २१ जुलाई, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म0प्र0, खण्डपीठ ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर।	ग्वालियर	झाबुआ	झाबुआ	सिविल जिला, झाबुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर।
2	श्री श्याम कांत कुलकर्णी,	झाबुआ	होशंगाबाद	होशंगाबाद	सिविल जिला, होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान के स्थान पर।
3	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव,	मुरैना	इंदौर	इंदौर	सिविल जिला, इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर।
4	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम	इंदौर	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला, बैतूल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राम नारायण चौधरी के स्थान पर।
5	श्री राम नारायण चौधरी	बैतूल	श्योपुर	श्योपुर	सिविल जिला, श्योपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आलोक कुमार वर्मा के दिनांक 31-07-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।
6	श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे	रीवा	मुरैना	मुरैना	सिविल जिला, मुरैना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर।


21.7.17

क्रमांक ३२९ / गोपनीय / 2017
दो-2-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक २० जुलाई, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री यशवंत सिंह परमार	धार	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे के स्थान पर।	रीवा

क्रमांक ३३० / गोपनीय / 2017
दो-2-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक २० जुलाई, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।


दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता

 21.7.17

का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी	श्योपुर	जबलपुर	जबलपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री सुधीर कुमार	श्योपुर	इंदौर	इंदौर	तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।	जबलपुर	नीमच	नीमच	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
4.	श्री विक्रम सिंह बुले	खण्डवा	नागदा	उज्जैन	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5.	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	सिवनी	शहडोल	शहडोल	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
6.	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर)	सिवनी	जबलपुर	जबलपुर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शिव बालक साहू के स्थान पर।
7.	श्री शिव बालक साहू	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर।
8.	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	शाजापुर	इंदौर	इंदौर	नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
9.	श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा	शहडोल	भानपुरा	मंदसौर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
10.	श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा	सबलगढ़	इंदौर	इंदौर	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

 21.7.17

- टिप्पणी :-**
1. श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,
 2. श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,
 3. श्री शिव बालक साहू, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
 4. श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,
- का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


 (मो. फहीम अनवर)
 रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ७३१ / गोपनीय / 2017
 दो-2-1/2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक २१ जुलाई, 2017


प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 5.

1. श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, म0प्र0, खण्डपीठ ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर,
2. श्री श्याम कांत कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ,
3. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना,
4. श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर,
5. श्री राम नारायण चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल,
6. श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, रीवा,
7. श्री यशवंत सिंह परमार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार,
8. श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर,
9. श्री सुधीर कुमार, तृतीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर,
10. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री विक्रम सिंह बुले, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा,
12. श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,
13. श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी,
14. श्री शिव बालक साहू, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
15. श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,
16. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल,
17. श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सबलगढ़ जिला मुरैना,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 01.08.2017 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

- 6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **रीवा/ धार/ श्योपुर/ जबलपुर/ खण्डवा/ सिवनी/ शाजापुर/ शहडोल/ मुरैना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 01.08.2017 तक** अवश्यमेव ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
- 7 कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **झाबुआ/ मुरैना/ इंदौर/ बैतूल/ होशंगाबाद/ नीमच/ उज्जैन/ मंदसौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 9 **रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-**
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0)** को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


 (मो. फहीम अनवर) 21.7.17
 रजिस्ट्रार जनरल
 34